रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245737
CG-DL-E-05052023-245737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2023/वैशाख 14, 1945
No. 273] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2023/VAISAKHA 14, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

सा.का.नि. 343(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 35) की धारा 57 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (य ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम राष्ट्रीय आयोग के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे:

परंतु कि वे इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंधित मामलों से संबंधित विषयों को छोड़कर या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट सीमा तक, प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होंगे। .

3. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के नियम 27 में यथाविनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारी द्वारा की गई अपील पर निर्णय लेने के लिए इन नियमों के अधीन सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "नियुक्ति प्राधिकारी" से इन नियमों के अधीन उस पद पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय आयोग का कर्मचारी तात्कालिक आधार पर धारण करता है;

(घ) "सीधी भर्ती" से भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर नियुक्ति से अन्यथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत भर्ती अभिकरन के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई कोई भी नियुक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुशासनात्मक प्राधिकारी" से इन नियमों के अधीन सशक्त प्राधिकरण अभिप्रेत है, जो राष्ट्रीय आयोग के किसी कर्मचारी पर केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई भी शास्ति अधिरोपित करता है;

(च) "कर्मचारियों" से अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के अधिकारी और कर्मचारी अभिप्रेत हैं;

(छ) "पदों" से राष्ट्रीय आयोग के पद अभिप्रेत हैं;

(ज) "अध्यक्ष" से राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(2) इसमें प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय-II

नियुक्ति, वेतन और भत्ते और अन्य सेवा शर्तें

4. पद पर नियुक्ति -किसी पद पर प्रत्येक नियुक्ति अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

5. वेतन और भत्ते –यदि अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न किया गया हो, कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित होंगे, जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए समान स्तर की सामान्य केंद्रीय सेवाओं में पद धारण करने के लिए वेतन मैट्रिक्स में लागू होते हैं:

परंतु वेतन और भत्तों के संबंध में ऐसे विशेष उपबंध जो संघ के अधीन किसी सेवा या संवर्ग के सदस्यों के लिए विशिष्ट हैं, राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, यदि केंद्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबंध नहीं किया जाता है।

6. प्रतिनियुक्ति- इन नियमों और तत्समय प्रवृत्त, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों को विनियमित करने वाले ऐसे अन्य नियमों और निर्देशों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय आयोग में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किसी कम्रचारी के संबंध में वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का सेवा लेने और देने वाले संगठनों द्वारा अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग के अनुमोदन के अध्यधीन, पारस्परिक रूप से अवधारित किया जाएगा:

परंतु ऐसे भत्ते या लाभ जो राष्ट्रीय आयोग में समान दर्जे के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं हैं, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे, चाहे वे मूल संगठन में स्वीकार्य हों।

7. सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें-कर्मचारियों की सेवा के अन्य सभी निबंधन और शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में या केंद्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किए गए हैं आवश्यक परिवर्तनों सहित, ऐसे नियमों और निर्देशों के अनुसार विनियमित *किया* जाएगा जो समय-समय पर, वेतन मैट्रिक्स में समान स्तर की साधारण केंद्रीय सेवाओं में पद धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

अध्याय-III

वर्गीकरण, आचरण, अनुशासन और अपील

8. पदों का वर्गीकरण.-राष्ट्रीय आयोग में पदों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा :-

क्र.सं.	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
1.	स्तर 10 और उससे ऊपर के वेतन मैट्रिक्स में वेतन वाला पद	समूह क
2.	6 से 9 के स्तर में वेतन मैट्रिक्स में वेतन वाला पद	समूह ख
3.	1 से 5 के स्तर में वेतन मैट्रिक्स में वेतन वाला पद	समूह ग

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए:-

(i) किसी पद के संबंध में 'स्तर' का अर्थ है, केंद्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट स्तर; और

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर का उन्नयन जो गैर-कार्यात्मक वेतनमान की स्वीकृति के कारण पद के धारक के लिए व्यक्तिगत है या संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के अधीन वित्तीय उन्नयन वर्गीकरण में ऊर्ध्वमुखी संशोधन का आधार नहीं होगा।

9. आचरण और अनुशासन.- यदि अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित नहीं किया जाए, राष्ट्रीय आयोग के कर्मचारी, आचरण, अनुशासन और अपील से संबंधित मामलों में, यथोचित परिवर्तनों सहित, ऐसे नियमों और निर्देशों के अधीन होंगे, जो समय-समय पर साधारण केंद्रीय सेवाओं में वेतन मैट्रिक्स में तदनुरूप स्तर में पदों को धारण करने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

10. नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी.- (1) राष्ट्रीय आयोग में पदों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनर्विलोकन प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे:-

क्र.सं.	पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	पुनर्विलोकन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	रजिस्ट्रार	केंद्रीय सरकार	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग	राष्ट्रीय आयोग	केंद्रीय सरकार
2.	रजिस्ट्रार को छोड़कर समूह क	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग	राष्ट्रीय आयोग	केंद्रीय सरकार
3.	समूह ख और ग	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग	रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय आयोग	अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग	राष्ट्रीय आयोग

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट एक प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति उसके वरिष्ठ वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी से नीचे के प्राधिकारी द्वारा किसी भी कर्मचारी को सेवा से हटाया या बर्खास्त नहीं किया जायेगा।

11. सेवा का दायरा- (1) यदि अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, कर्मचारी का पूरा समय राष्ट्रीय आयोग के नियंत्रण में रहेगा और वह राष्ट्रीय आयोग की ऐसी क्षमता में और ऐसे स्थान, जैसा कि समय-समय पर निर्देशित किया जाए, पर वह सेवा करेगा ।

(2) प्रत्येक कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग की सेवा पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ करेगा और जनता के साथ और केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों के बीच सभी संव्यवहारों और व्यवहार में अत्यधिक शिष्टाचार और सावधानी बरतेगा।

12. नियमों और आदेशों का पालन करना.- प्रत्येक कर्मचारी इन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा और अनुपालन करेगा और उन सभी आदेशों और निर्देशों, जो उसे समय-समय पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जा सकते हैं जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उसे तत्समय रखा जाए।

13. गोपनीयता बनाए रखना.- (1) कोई भी कर्मचारी, जब तक कि वह किसी क़ानून के उपबंधों के अनुसार या न्यायिक या अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न हो या राष्ट्रीय आयोग या किसी वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा ऐसा

करने का निर्देश न दिया जाए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, जनता को गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा।

(2) कोई भी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लाभ या अपने मित्रों या नातेदारों के लाभ के लिए अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग या अन्यथा से प्राप्त होने वाली किसी भी जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।

(3) कोई भी कर्मचारी किसी भी अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक संप्रेषित नहीं करेगा जब तक कि उसके आधिकारिक कर्तव्य के दौरान ऐसा करना अपेक्षित न हो।

अध्याय-IV

प्रकीर्ण

14. प्रशिक्षण.- (1) किसी कर्मचारी को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना अपेक्षित हो सकेगा जैसा कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कदाचार के लिए आरोपित कर्मचारियों को प्रशिक्षण से वापस लिया जा सकेगा, और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, और ऐसे मामलों में, दंड में राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रशिक्षण पर खर्च की गई रकम की वसूली सम्मिलित हो सकेगी।

15. शिथिल करने की शक्ति.- जहां अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयोग का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी के प्रचालन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके आदेश द्वारा उस नियम के उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अध्यधीन जो वह मामले को न्यायोचित और साम्यपूर्ण रीति में निपटाने के लिए आवश्यक समझे, अपेक्षाओं से अभिमुक्त या उन्हें शिथिल कर सकेगा:

परंतु केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

16. व्यावृत्ति खंड- इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

17. निर्वचन - यदि इन नियमों निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो इसे केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

[फा. सं. जे-1/1/2022-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by clause (zb) of sub-section (2) of section 101 read with sub-section (3) of section 57 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act No. 35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

Chapter-I

Preliminary

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the National Consumer Disputes Redressal Commission (Other terms and conditions of service of officers and employees) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to every employee of the National Commission:

Provided that they shall not apply, except as respects of the matters expressly provided in these rules or to such extent as may be specified by a general or special order issued from time to time by the Central Government, to persons appointed on deputation or contract basis.

3. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);

(b) "Appellate Authority" means the authority empowered under these rules to decide an appeal, preferred by an employee of the National Commission, in the manner as specified in rule 27 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(c) "Appointing Authority" means the authority empowered under these rules to make appointments to the post which the employee of the National Commission for the time being holds;

(d) "direct recruitment" means any appointment made by the National Commission through a recruiting agency authorised by the Central Government, otherwise than an appointment by promotion or by deputation or on contract basis, in accordance with the provisions of the recruitment rules;

(e) "Disciplinary Authority" means the authority empowered under these rules to impose on an employee of the National Commission any of the penalties specified in rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(f) "employees" mean officers and employees of the National Commission appointed in accordance with the provisions of the recruitment rules notified by the Central Government under the Act;

(g) "posts" mean the posts in the National Commission;

(h) "President" means the President of the National Commission.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter-II

Appointment, Pay and Allowances and other Service Conditions

4. Appointment to post.- Every appointment to a post shall be made in accordance with the provisions of the recruitment rules notified by the Central Government under the Act.

5. Pay and allowances.-Unless otherwise expressly provided, the pay and allowances of the employees shall be regulated, *mutatis mutandis*, in accordance with such rules and instructions as are, from time to time, applicable to the Central Government servants holding the posts in the General Central Services of the corresponding level in the pay matrix:

Provided that such special provisions in regard to pay and allowances which are specific to members of any service or cadre under the Union, shall not apply to the employees of the National Commission, unless otherwise expressly provided by general or special order of the Central Government.

6. Deputation.- Subject to these rules and such other rules and instructions, for the time being in force, regulating the terms and conditions of appointment by deputation in respect of the Central Government servants, the pay and allowances and other terms and conditions of service in respect of an employee appointed on deputation in the National Commission shall be determined mutually by the borrowing and lending organisations subject to the approval of the President, National Commission:

Provided that such allowances or benefits as are not admissible to the regular employees of corresponding status in the National Commission, shall not be admissible to the employees on deputation, even if they were admissible in the parent organisation.

7. Other terms and conditions of service.- All other terms and conditions of services of the employees, for which no express provisions are made in these rules or by general or special order of the Central Government, shall be regulated, *mutatis mutandis*, in accordance with such rules and instructions as are, from time to time, applicable to the Central Government servants holding the posts in the General Central Services of the corresponding level in the pay matrix.

Chapter-III

Classification, Conduct, Discipline and Appeal

8. Classification of posts.- The posts in the National Commission shall be classified as follows:-

Sl.No.	Description of posts	Classification of posts
(1)	(2)	(3)
1.	A post carrying the pay in the pay matrix of and above level 10.	Group A
2.	A post carrying the pay in the pay matrix in the level from 6 to 9.	Group B

3.	A post carrying the pay in the pay matrix in the level from 1 to 5.	Group C

Explanation.- For the purpose of this rule:-

(i) 'level' in relation to a post means, the level specified in Part A of the Schedule to the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016; and

(ii) upgradation of the level in the pay matrix which is personal to a holder of the post on account of grant of Non-functional Scale or financial upgradation under the Modified Assured Career Progression shall not be the basis of upward revision in the classification.

9. Conduct and discipline.-Unless it be otherwise distinctly provided, the employees of the National Commission shall, in matters relating to conduct, discipline and appeal, be subject to, *mutatis mutandis*, such rules and instructions as are, from time to time, applicable to the Central Government servants holding the posts in the General Central Services of the corresponding level in the pay matrix.

10. Appointing Authority, Disciplinary Authority, Appellate Authority and Reviewing Authority.-(1) The Appointing Authority, Disciplinary Authority, Appellate Authority and Reviewing Authority in respect of the posts in the National Commission shall be as follows:-

S.No.	Description of post	Appointing Authority	Disciplinary Authority	Appellate Authority	Reviewing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Registrar	Central Government	President, National Commission	National Commission	Central Government
2.	Group A except Registrar	President, National Commission	President, National Commission	National Commission	Central Government
3.	Group B and C	President, National Commission	Registrar, National Commission	President, National Commission	National Commission

(2) The power exercisable by an authority specified in sub-rule (1) shall also be exercisable by an authority superior to the former.

(3) No employee shall be removed or dismissed from service by an authority lower than the appointing authority.

11. Scope of service.- (1) Unless otherwise expressly provided, the whole time of an employee shall be at the disposal of the National Commission and he shall serve the National Commission in such capacity and at such place as he may from time to time be directed.

(2) Every employee shall serve the National Commission with absolute integrity and show utmost courtesy and attention in all transactions and dealings with the public, and between the officers of the Central Government and the National Commission.

12. Abide by the rules and orders.- Every employee shall conform to and abide by these rules and observe, comply with and obey all orders and directions which may from time to time be given to him by any person or persons under whose jurisdiction, superintendence or control he may for the time being be placed.

13. Maintenance of secrecy.- (1) No employee shall, unless he is obligated to do so in accordance with the provisions of any statute or by judicial or other statutory authority or instructed to do so by the National Commission or a superior employee in discharge of his duties, divulge or disclose, directly or indirectly, any information of confidential nature to a member of the public.

(2) No employee shall make use of any information emanating from the National Commission or otherwise which has come to his knowledge in the discharge of his official duties for his personal benefit or for the benefit of his friends or relatives.

(3) No employee shall communicate any unpublished sensitive information to any other person except when required to do so in the course of his official duty.

Chapter-IV

Miscellaneous

14. Training.- (1) An employee may be required to undergo such training as may be specified by the President, National Commission.

(2) The employees charged for misconduct during the period of training may be withdrawn from training, and may be liable for disciplinary proceedings, as the Appointing Authority deems fit, and penalty in such cases may include recovery of amount spent on the training by the National Commission.

15. Power to relax.-Where the President, National Commission is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that no such order shall be made except with the prior approval of the Central Government.

16. Saving clause.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

17. Interpretation.-If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government whose decision shall be final and binding.

[F. No. J-1/1/2022-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA